न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 41/2026 (GCMS : 2026/54)

धर्मपाल पुत्र श्री पूर्णराम, जाति जाट साकिन लालगढ़ जाटान हाल आबाद चक 2 एसडीपी ढाणी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर जरिये **मुख्त्यारेआम** महावीर पुत्र श्री धर्मपाल आयु वर्ष निवासी चक 2 एसडीपी ढाणी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

1. **श्री रवि कुमार** उपखण्ड अधिकारी राजस्व, सादुलशहर
2. **मदनलाल** पुत्र रणजीत सिंह
3. **अजय** पुत्र मदन लाल
4. **विजय चौधरी** मदन लाल
5. **विनय कुमार** पुत्र मदन लाल
   निवासीगण मन्नीवाली हाल आबाद चक 1 एसडीपी ढाणी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज.)
6. **ओम प्रकाश** पुत्र श्री कृष्ण लाल जाति जाट साकिन लालगढ़ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
7. **प्रेम कुमार** पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार जाति जाट साकिन चक 33 एलएलडब्ल्यू तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
8. **रघुवीर** पुत्र श्री कृष्णलाल जाति जाट साकिन लालगढ़ जाटान, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
9. **राजेन्द्र कुमार** पुत्र श्री सोहन लाल जाति जाट साकिन 33 एलएलडब्ल्यू तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
10. **रामकुमार** पुत्र श्री कृष्णलाल जाति जाट निवासी लालगढ़ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
11. **रीछपाल** पुत्र श्री हरदयाल सिंह जाति जाट निवासी लालगढ़ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
12. **विक्रम** पुत्र श्री श्याम सुन्दर जाजि जाट निवासी गोलुवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
13. **विनोद** पुत्र श्री कृष्णलाल जाति जाट निवासी लालगढ़ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
14. **श्यामसुन्दर** पुत्र श्री सोहन लाल जाति जाट निवासी गोलुवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
15. **सुशील** पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार जाति जाट साकिन 33 एलएलडब्ल्यू तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
16. **कौशल्या देवी** पुत्री रायसाहब पत्नी रायसिंह जाति [redacted] निवासी किशनपुरा उत्तराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
17. **बिरमा देवी** पुत्री रायसाहब पत्नी रामप्रताप जाति जाट निवासी साकिन किशनपुरा उत्तराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.19 16:47:45 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

18. **मैना देवी** पुत्री रायसाहब पत्नी मदनलाल जाति जाट निवासी रासुवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
19. **लीला देवी** पुत्री रायसाहब पत्नी मदनलाल जाति जाट निवासी रासुवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
20. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये **तहसीलदार राजस्व सादुलशहर**

<u>08.05.2026</u>

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री सतविन्द्र सिंह चहल एवं अप्रार्थी संख्या 2 से 5 के अधिवक्ता श्री प्रदीप सिहाग उपस्थित हुए। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं को सुना गया।

प्रार्थी के अधिवक्ता विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 व 5 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर में एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए आरटीएक्ट के तहत प्रार्थी व अन्य अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी छोटी छोटी तारीख दे रहे है।

अप्रार्थी संख्या 2 व 5 द्वारा रास्त उपलब्ध होने के बावजूद प्रार्थी की भूमि में से नया रास्ता हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किय गया, अप्रार्थी ने जानबूझकर विधि विरूद्ध नया रास्ता की मांग हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है और अप्रार्थी की भूमि के लिए रास्ता पहले से ही उपलब्ध है। अप्रार्थी जानबूझकर विधि विरूद्ध रास्ता की मांग हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है और गांव में ऐलानियां कर रहे है कि हमारी पीठासीन अधिकारी से बात हो गई है और उपखण्ड अधिकारी हमारे पक्ष में ही फैसला करेगा।

अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 जिनका स्थानीय राजनैतिक प्रभाव है तथा काफी प्रभावशील है और समय समय पर कह रहे है कि तुम चाहे जो मर्जी कर लो फैसला हमारे हक में होगा तथा नया रास्ता लेकर ही रहेंगे। ऐसी अवस्था में इस प्रकरण में सही व निष्पक्ष निर्णय हेतु किसी अन्य उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में प्रकरण मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना की है।

इसके विपरीत अप्रार्थी संख्या 02 से 05 के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरित करने का प्रार्थना पत्र दिनांक [illegible].02.2026 को पेश किया है, जबकि उक्त पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय [illegible] राजस्व मण्डल, के निर्णय दिनांक 06.01.2026 के पश्चात [illegible] की गई है और बहस हेतु दिनांक 25.02.2026 को बहस हेतु नियत की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.19 16:47:45 IST
Reason: SelfAttested

अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण अंतिम बहस हेतु नियत है और बहस से पूर्व ही प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र पेश किया है। **अधीनस्थ न्यायालय**

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

में विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थी विलम्ब करना चाहता है, इसी उद्देश्य से उसने यह प्रकरण पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

मैनें अधीनस्थ न्यायालय की टिप्पणी दिनांक 19.03.2026 का अवलोकन किया और उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तो पाया कि प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए के प्रकरण संख्या 98/2023 (34/2026) अनवानी मदनलाल आदि बनाम धर्मपाल आदि को अन्यत्र मुंतकिल के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन करते हुए, उनके न्यायालय में लम्बित उक्त प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुंतकिल करने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। **इस न्यायलाय को धारा 251ए आरटीए के प्रकरण के गुण दोष पर विचार नही करना है अपितु इस न्यायालय को यह देखना है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थी को निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना है अथवा नहीं?**

प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया है कि उपखण्ड अधिकारी पर राजनैतिक प्रभाव के कारण, प्रकरण अन्य सक्षम न्यायालय में मुंतकिल करने की प्रार्थना की है। **मुकद्दमा मुंतकिली के लिए कोई ठोस आधार होना चाहिए। किसी व्यक्ति का राजनैतिक प्रभाव का आरोप साधारण प्रकृति का है, जो मुकद्दमा मुंतकिली का कोई ठोस आधार नहीं हो सकता और ऐसा आरोप कभी भी, किसी पर भी, किसी भी समय लगाया जा सकता** है। मुकद्दमा मुंतकिली के लिए कोई आधार होना आवश्यक है जिसका इसमें पूर्णतया अभाव है।

न्यायिक दृष्टानत आर.बी.जे. 2009(16) पेज 475 में तो यहां तक कहा गया है कि यदि दोनों पक्ष सहमत हो तो भी प्रकरण स्थानान्तरित नहीं करना चाहिए। प्रकट किया गया अभिमत निम्न प्रकार है:

> **Transfer of case**: Transferring a case without sufficient or adequate reasons even on the basis of consent or convenience of the parties, case cannot be transferred to another Court.

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.19 16:47:45 IST
Reason: SelfAttested

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र फौरी कारणों से [illegible] के आधार पर निर्णित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे न्यायिक व्यवस्था [illegible] व्यवधान पैदा होता है एवं पीठासीन अधिकारी की साख में कमी आती है। **किसी पक्षकार की आशंका मात्र से यदि प्रकरण मुन्तकिल किया जावे तो अदालतों की विश्वसनीयता पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है, जो न्याय हित में उचित नहीं कहा जा सकता बल्कि रिकॉर्ड पर ऐसे तथ्य होने चाहिए जो किसी भी सामान्य व्यक्ति के मन में पक्षपात का संदेह**

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

पैदा करता हो। बिना ठोस आधार के प्रकरण को एक अदालत से दूसरी अदालत में मुन्तकिल नहीं किया जा सकता। **उपरोक्त समस्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र में किसी प्रकार प्रमाणिक साक्ष्य या ठोस आधार के स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र को खारिज करना उचित प्रतीत होता है।**

परिणामतः **प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।** प्रकरण में अन्य कोई प्रार्थना पत्र हो तो उसे भी उक्तानुसार निस्तारित किया जाता है। न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि **दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करें तथा इस सिद्वान्त को कि 'केवल न्याय होना ही नहीं चाहिए, परन्तु न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए''** को ध्यान में रखते हुए विचाराधीन प्रकरण में विधि सम्मत निर्णय पारित करना सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को भिजवाई जाये। कार्यवाही पूरी होने के बाद पत्रावली को व्यवस्थित करके अभिलेखागार में रखने के आदेश दिये जाते है।

यह आदेश आज दिनांक 08.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.19 16:47:45 IST
Reason: SelfAttested